257/

सं0-168/XXIV(1)/2013/45-2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादूनः दिनॉक 16 अप्रैल, 2012

विषयः राज्य के निजी/गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर0टी0ई0 एक्ट/नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आए है कि राज्य के निजी स्कूलों में आर0टी0ई0 एक्ट तथा नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश हेतु परीक्षा (Test) और इंटरव्यू लेने, टी0सी0 हेतु फीस वसूल किया जाना, आठवीं तक के छात्रों को फेल किया जाने, आपत्ति उठाने पर दुबारा परीक्षा और उस पर परीक्षा फीस वसूलने, कैपिटिशन फीस वसूल करने के साथ-साथ बच्चों से मनमानी फीस वसूल किए जाने, के तथ्य संज्ञानित हुए हैं।

2. शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 5, 13, 16 एवं 17 तथा शासनादेश सं0 1013/XXIV(1)/2010-45/2008 दिनांक 31.10.2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के विभिन्न नियमों यथा नियम 12 (दो) के उप नियम (10), एवं (11), नियम 14 के उप नियम (1), (2), (3) एवं (4) इत्यादि द्वारा इन्हें प्रतिबंधित करते हुए उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्था के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था भी की गयी है।

3. उल्लेखनीय है कि नियमावली के नियम 12 (दो) (10) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक विद्यालय अकादमिक सत्र प्रारंभ होने के समय कक्षावार शुल्क सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा। अतः कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद के समस्त निजी/गैर सहायता प्राप्त स्कूल प्रत्येक कक्षावार अपना समस्त शुल्क ढांचा (fee structure) प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ में घोषित करे तथा उसे Public domain में रखा जाए जिसका लिंक विद्यालयी शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड की वेबसाइट से हो। यदि संबंधित विद्यालय की अपनी वेबसाइट न हो तो उसे विद्यालयी शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड की वेबसाइट में ही जनपद वार प्रदर्शित किया जाए। साथ ही विभाग द्वारा निजी विद्यालयों से यह घोषणा पत्र लिखित में प्राप्त कर लिया जाय कि उनके द्वारा प्रत्येक कक्षावार घोषित शुल्क ढांचे (fee structure) से इतर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इससे इतर किसी प्रकार का शुल्क लिये जाने कि स्थिति में विभाग उनके विरूद्ध नियमानुसार आर0टी0ई0 के प्रविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. यह भी सूच्य है कि शासनादेश संख्या-807/XXIV(1)/2012-45/2008 दिनाक 01 नवम्बर, 2012 द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 32 के अन्तर्गत ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर शिकायते दर्ज कराने एवं उनके निस्तारण किये

...2... क्रमशः

जाने की व्यवस्था भी निर्धारित है। आर०टी०ई० एक्ट के किसी प्राविधान के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत उक्त शासनादेश में विहित प्राधिकारी के सम्मुख दर्ज करायी जा सकती है तथा संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर उसका निस्तारण किया जाना अनिवार्य है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से समस्त निजी/गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर०टी०ई० एक्ट/नियमावली/शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा किसी विद्यालय द्वारा एक्ट का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरूद्ध नियमावली में विहित प्रक्रियानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी अपनाई जाए।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

468
संख्या//एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार जिला प्रशासन से सहयोग स्थापित करते हुए अपने जनपद के समस्त निजी/गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर०टी०ई० एक्ट/नियमावली/शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)
5. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।
10. रा०प० निदेशक, स०शि०अभियान उत्तरा०।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।